

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूं एवं गढवाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0


देहरादून दिनांक 19 जून, 2020

विषय: काविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 285/USDMA/792(2020) दिनांक 08 जून, 2020 को जारी किये गये दिशानिर्देशों के क्रम में मुझे समस्त संबन्धितों को यह स्पष्ट करने के निदेश हुए हैं कि उक्त पत्र के क्रम संख्या 3.3 के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में दी गयी व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व समस्त सार्वजनिक उपकरणों की परियोजनाओं हेतु भी लागू होगी।

भवदीय,



(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. संबंधित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।